न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 123 / 2012

1 रामस्वरूप पारीक पुत्र कन्हैयालाल पारीक निवासी पुरोहित का बास पंचायत तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगनसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र भूदाराम।
2 बोदूराम आयु 65 वर्ष पुत्र श्योजीराम।
3 हणमान आयु 62 वर्ष पुत्र श्योजीराम।
4 ज्याना देवी आयु 70 वर्ष पत्नी भूदाराम।
5 विद्याधर आयु 40 वर्ष पुत्र भूदाराम।
6 बहादुर आयु 38 वर्ष पुत्र भूदाराम।
7 बाबूलाल आयु 34 वर्ष पुत्र भूदाराम।
8 सागरमल आयु 32 वर्ष पुत्र भूदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पुरोहित का बास पटवार हल्का तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 उप पंजीयक महोदय खण्डेला जिला सीकर।
10 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
11 मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
12 पटवारी पटवार हल्का तपीपल्या जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.09
न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला एवं विरूद्व निर्णय
दिनांक 30.04.2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुरूषोतम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 03.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2010 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1/वादी ने माननीय न्यायालय हाजा में एक वाद जगनसिंह बनाम बोदूराम आदि प्रार्थी/प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.06 हैक्टेयर तन ग्राम पुरोहित का बास पटवार हल्का तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके 1/4 हिस्से पर वादी/अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 7 लगायत 11/अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 2/अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 बराबर—बराबर काबिज काश्त है। वक्त बुर्जुगान से काश्त करते आ रहे है और हिस्सानुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवाादीगण को प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 3 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.05.2009 को एक पक्षीय रूप से वाद वादी डिक्री कर दिया। अपीलार्थी ने अविलम्ब एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 दीवानी प्रकिया संहिता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि दिनांक 18.05.2009 को उनवानी जगनसिंह बनाम बोदूराम वगैरहा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मुकदमा नम्बर 64/2009 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई के नोटिस जारी किये तथा बाद तामील दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात दिनांक 30.04.2012 को अपीलार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने एकपक्षीय डिक्री व निर्णय को खारिज कर दिया। निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2009 प्रकरण संख्या 64/2009 उनवानी जगनसिंह बनाम बोदु एवं प्रकरण संख्या 39/2010 निर्णय दिनांक 30.04.2012 उनवानी रामस्वरूप बनाम जगनसिंह व अन्य से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को वादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुए तथा तामील कुनीन्दा अपीलार्थी के पास नोटिस की तामील की तामील करवाने कभी भी नहीं गया। तामील कुलिन्दे व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 की मिलीभगत से झुंठी तामील बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तामील रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी पर तामील लेकर कभी तामील कुनिन्दा गया ही नहीं तथा प्रार्थी के खिलाफ समन दिनांक 22.04.2009 को डिस्पेच संख्या 1022 से किया गया है जबकि आदेशिका दिनांक 21.04.2009 को डिस्पेच संख्या 1280 लगायत 1290 अंकित किया गया है। प्रार्थी के खिलाफ कौनसा समन किस तिथि को जारी किया गया है, स्पष्ट नही है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि वादी ने तामील कुनिन्दा से साजिश कर प्रार्थी की इन्कारी गलत रूप दिखाई गई है। तामील कुनिन्दा की प्रार्थी के समन के पुष्ट भाग पर कोई रिपोर्ट भी नही है। वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी के खिलाफ अपने तरतीबी प्रतिवादीगण से साजिशकर उक्त एकतरफा डिक्री व निर्णय मात्र 20 दिन में साजिशी रूप से प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है, जबकि उक्त भूमि से वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 2 का प्रतिवादीगण नम्बर 7 लगायत 11 का कभी कोई वास्ता नही रहा है, ना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी इस भूमि के 1/4 हिस्सा पर वक्त बुजुर्गान से काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। तामील कुनिन्दा द्वारा इंकारी से तामील करवाये जाने के पश्चात से गवाह के हस्ताक्षर करवाया जाना अंकित किया है। उक्त दोनों गवाह रेस्पोडेंट संख्या 1 के हितबद्व व्यक्ति होने तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 को लाभ पहुचाने की नियत से मौके पर गये बिना ही हस्ताक्षर किये है। इस कारण उक्त दोनों गवाह हितबद्व साक्षी होने के कारण इनके हस्ताक्षर पर विश्वास करने में भारी भूल की है। उक्त नोटिस चस्पानगी में अपीलांट का मकान किस दिशा में खुलता है तथा चतुः दिशाये व सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण भी उक्त तामील अपूर्ण होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समन तामील होना फरमा कर भारी भूल कारित की है। अत अपील स्वीकार कर वाद संख्या 64/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2009 को एंव निर्णय दिनांक 30.04.2012 को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तामील कुनिन्दा प्रार्थी (प्रतिवादी नम्बर 3) के घर पर गया था। तामील लेने से इन्कार करने पर घर पर चस्पा की गई थी। गवाहो के हस्ताक्षर मौके पर करवाये गये थे। जाति जमाबंदी में पारीक ब्राहम्ण है। समन में ब्राहम्ण दर्ज है। जो एक ही है। पारीक ब्राहम्ण एक ही जाति होती है तथा तामीलो पर डिस्पेच नम्बर तहसील के भी हो सकते है। न्यायालय से सम्मन जारी होना तथा तामिल के लिए तहसील तक जाना स्वंय वकील प्रार्थी स्वीकार करते है अर्थात मुकदमें के सम्बंध में प्रार्थी(प्रतिवादी नम्बर 3) को इल्म था। जानबूझकर तामील नही ली गई। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया है। अप्रार्थी नम्बर 1,6,7,8 द्वारा बैंक से ऋण लेने पर बैंक अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया है। जो अप्रार्थीगण का कब्जा स्वतः ही सिद्व करता है। प्रार्थी द्वारा मनगढ़ंत तथ्य अंकित किए गये है। गवाह गोगराज व बाबूलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत है। जो तामील कुनिन्दा द्वारा मौके पर तामील लेकर जाना तथा प्रार्थी (प्रतिवादी न.3) द्वारा इंकार करने की पुष्टि करते है। बाद की सुनवाई विधिक प्रकिया के अनुसार की जाकर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पर तामील समयक रूप से हुई ही नहीं तथा प्रार्थी के खिलाफ सम्मन दिनांक 22.04.2009 को डिस्पेच संख्या 1022 से किया गया है जबकि आदेशिका दिनांक 21.04.2009 को डिस्पेच संख्या 1280 लगायत 1290 अंकित किया गया है। प्रार्थी के खिलाफ कौनसा समन किस तिथि को जारी किया गया है, स्पष्ट नही है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि वादी ने तामील कुनिन्दा से साजिश कर प्रार्थी की इन्कारी गलत रूप दिखाई गई है। तामील कुनिन्दा की प्रार्थी के समन के पुष्ट भाग पर कोई रिपोर्ट भी नही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में तामीली प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के अनुरूप नही की गई है। अपीलांट को मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। फलस्वरूप न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वाद संख्या 64/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2009 को एंव मुकदमा नम्बर 39/2010 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद संख्या 64/2009 में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर